2>

संख्या : 709/USDMA/792(2020)

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.　　　　देहरादून, 18 नवम्बर, 2021

विषयः　**कोविड–19 के संक्रमण के नियत्रंण हेतु 'COVID - Restrictions' के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।**

महोदया/महोदय,

वर्तमान में राज्य में कोविड संक्रमण की न्यूनतम स्थिति एवं चार धाम के मन्दिरों के कपाट बन्द होने के दृष्टिगत निम्नलिखित दिशा – निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. पूर्व में राज्य सरकार द्वारा **'COVID - Restrictions'** के सम्बन्ध में जारी आदेश संख्याः 638/USDMA/792(2020), दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को दिनांक 20 नवम्बर, 2021 से निरस्त किया जाता है।
2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या–40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–Z.28015/85/2021-DM Cell, दिनांक 21 सितम्बर, 2021 के प्राविधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धितों द्वारा किया जायेगा।
3. **General Directives for COVID-19 Management:**
   राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा :–
   i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
   ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
   iii. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
   iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

4. <u>कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा:</u>

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की अनुमति है :–

i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
ii. Persons with co-morbidities.
iii. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।

5. <u>दंड के प्रावधान:</u>

i. **'COVID - Restrictions'** का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

(डॉ0 सुखबीर सिंह सन्धु)
मुख्य सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>
<u>निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबंधन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

18/11/2021.

(एस0 ए0 मुरूगेशन)
सचिव